न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीराम बनाम सर्वोदे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र 251 RTA दिनांक 12/2023	

जाती है। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त – श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 05.01.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05.01.2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। ... श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 120/2023
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2013/1158
दायर दिनांक :– 04.10.2023
निर्णय दिनांक :– 05.01.2024

उनवान प्रकरण

1. श्रीराम पुत्र रूड़मल आयु 55 वर्ष

2. लक्ष्मणराम पुत्र रूड़मल आयु 53 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. कजौड़ पुत्र चन्द्राराम आयु 50 वर्ष

2. जैसाराम पुत्र चन्द्राराम आयु 53 वर्ष

3. बरजी देवी पत्नी कजौड़राम आयु 50 वर्ष

4. मुरलीधर पुत्र धन्ना आयु 70 वर्ष

5. रेवती देवी पत्नी जैसाराम आयु 60 वर्ष

6. बाबूलाल पुत्र स्व. लक्ष्मणराम आयु 50 वर्ष

7. फूलाराम पुत्र स्व. लक्ष्मणराम आयु 45 वर्ष

8. प्रहलाद पुत्र स्व. लक्ष्मणराम आयु 42 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

9. रामनिवास पुत्र स्व. लक्ष्मणराम आयु 38 वर्ष

10. राजू देवी पत्नी लक्ष्मणराम आयु 70 वर्ष

11. गीता देवी पुत्री लक्ष्मणराम आयु 48 वर्ष

12. महावीर पुत्र सुगनाराम आयु 60 वर्ष

13. भोलूराम पुत्र सुगनाराम आयु 60 वर्ष

15. बलदेव पुत्र स्व. सुगनाराम आयु 50 वर्ष

16. बिदामी देवी पुत्री सुगनाराम आयु 58 वर्ष

17. मीरा देवी पुत्री सुगनाराम आयु 56 वर्ष

18. सीताराम पुत्र स्व. भगवाना आयु 45 वर्ष

19. रामनिवास पुत्र स्व. भगवाना आयु 40 वर्ष

20. पिन्टू पुत्र स्व. भगवाना आयु 35 वर्ष

21. देवीलाल पुत्र स्व. भगवाना आयु 32 वर्ष

22. प्रभाती पत्नी भगवाना आयु 60 वर्ष

23. सुशीला पुत्री भगवाना आयु 43 वर्ष

24. मुकेशी देवी पुत्री भगवाना आयु 41 वर्ष

25. छोटी देवी पुत्री भगवाना आयु 41 वर्ष

26. भागीरथ पुत्र स्व. झाबरमल आयु 60 वर्ष

27. सागरमल पुत्र स्व. झाबरमल आयु 55 वर्ष

28. बनवारी पुत्र स्व. झाबरमल आयु 50 वर्ष

29. गणेश पुत्र स्व. झाबरमल आयु 63 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30. दीपक पुत्र शंकर पुत्र झाबरमल आयु 26 वर्ष

32. मुकेश पुत्र शंकर पुत्र झाबरमल आयु 24 वर्ष

33. अंजू पुत्री शंकर पुत्र झाबरमल आयु 21 वर्ष

34. संज्या पत्नी शंकर पुत्र झाबरमल आयु 53 वर्ष

35. धर्मपाल पुत्र रामेश्वर आयु 28 वर्ष

36. बनारसी देवी पत्नी रामेश्वर आयु 58 वर्ष

37. मोहनी पुत्री रामेश्वर आयु 33 वर्ष

38. आंची देवी पुत्री रामेश्वर आयु 31 वर्ष

39. गंगा देवी पुत्री झाबरमल आयु 53 वर्ष

40. संती देवी पुत्री झाबरमल आयु 51 वर्ष

41. मोठी देवी पत्नी झाबरमल आयु 75 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

42. पटवारी पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

43. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::—

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः—

1. श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से।
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 42 की ओर से।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 2.63 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा पटवार हल्का हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान में स्थित होकर उक्त भूमि में हिस्सा 1/16 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा उक्त जमाबंदी में अन्य दर्ज खातेदारान के मध्य आपस में अदला बदली व बटवारा में उक्त खसरा नम्बर 60 सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। उक्त भूमि में आने जाने व कृषि आदि करने के लिये रास्ते के रूप में भूमि खसरा नम्बर 54 रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.09 हैक्टर उक्त दोनो खसरा नम्बरान की दक्षिणी सीमा में सहारे–सहारे रास्ता 15 फुट चौड़ाई का रास्ता पूर्वी पश्चिमी पहले चालू रहा परन्तु बाद में उक्त रास्ते को दर्ज खातेदारान ने बंद कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 60 में आने जाने व कृषि कार्य करने आदि में काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है। उक्त खसरा नम्बरान में नक्शे की आकृति देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त खसरा नम्बरान रास्ते के रूप में ही प्रकट है। पूर्व में इसी रास्ता से होकर प्रार्थीगण आते जाते रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में उक्त रास्ते को जानबूझकर अवरूद्ध कर बंद कर दिया गया। जिसे खुलवाया जाकर रास्ते के रूप मे अंकन किया जाना अति आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बरंगलाल से होता हुआ प्रार्थीगण की अपनी कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 60 में आवागमन हेतु 15 फीट चौड़ाई के रास्ते की प्रार्थीगण सख्त आवश्यकता है ताकि उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारीशुदा भूमि में कृषि कार्य [illegible] आदि को ले जाने एंव कृषि कार्य हेतु टैक्टर, ऊंट लड़डे आदि [illegible] कृषि भूमि का रास्ते के रूप में आवागमन आमद रफत [illegible] भूमि की सार सम्भाल करते हुये अपनी कृषि उपज को बाजार आदि में ले जाकर [illegible]षि भूमि का समुचित विकास

05/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

कर सके। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु नही हैं ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता ही है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम व निकटमत रास्ता है। इस कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी हैं। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाना दूभर हो गया है। इस कारण नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। खातेदार जमना देवी पुत्री सोनाराम नालौद फौत हो चुकी है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के तहत रास्ते बाबत न्यायालय हाजा द्वारा दिये जाने वाले दिशा निर्देशो या अधिनियम में दर्शित शर्तो की पालना हेतु प्रार्थीगण तैयार एंव तत्पर हैं एंव बैंको के यहॉ भूमि रहन होने से उन्हे अप्रार्थीगण बनाया गया है। खातेदार साधुराम पुत्र सुगनाराम अविवाहित फौत हो गया है। जिसके वारिसान भगवाना, झाबरमल, महावीर, बलदेव पुत्र सुगना है। चन्द्री पत्नी सुगनाराम फौत हो चुकी है। जमना देवी पुत्री सुगनाराम ना औलाद फौत हो चुकी है। इसलिये प्रार्थीगण की काश्त की भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ता आमद रफत हेतु खुलवाया जाना व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित एंव अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा 60 रकबा 2.63 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना में आवागमन हेतु तन् ग्राम खनीपुरा पटवार हल्का हांसपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 54 रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 53/2 रकबा 0.09 हैक्टर उक्त दोनो खसरा नम्बरान की दक्षिणी सीमा में सहारे–सहारे रास्ता 15 फुट चौड़ाई का रास्ता पूर्वी पश्चिमी संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में अंकन कराया जाकर मौके पर रास्ते की आमद रफत चालू करवाई जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाये जाने के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट चाही जाने बाबत इस न्यायालय के जरिये पत्रांक 4690/रीडर/2023 दिनांक 19.12.2023 के द्वारा लिखा गया। जिस पर भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

भू. अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का हांसपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया कि खसरा संख्या 60 में आवागमन के पहुंच हेतु रास्ता राजस्व ग्राम खन्नीपुरा के भूमि खसरा संख्या 53/2, 54 कुल किता 2 में से होकर नजरी नक्शा चला आ रहा है। जिसकी खातेदारी कजोड़ पुत्र चन्द्राराम वगैरह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात खसरा संख्या 60 में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसमें आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा संख्या 54 एवं 53/2 में से रास्ता चाहा गया है। जो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ते में सबसे निकटतम है। उक्त खसरा नम्बर के खातेदार राजीनामे से रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। राजस्व ग्राम खन्नीपुरा के भूमि खसरा संख्या 60 में आवागमन हेतु लघुत्तम/निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 54, 53/2 में से होकर जाता है। उक्त खसरा नम्बर 54, 53/2 की नक्शा [illegible] में रास्त[illegible]कृति है। जिनका क्षेत्रफल खसरा नम्बर 53/2 में 530 वर्गमीट[illegible] 550 वर्गमीटर बनता है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1080 व[illegible] डी.एल.सी. दर के अनुसार उक्त रास्ते की भूमि की किमत 180619/– अक्षरे ए[illegible] लाख अस्सी हजार छः सौ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: Self Attested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उन्नीस रूपये होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते के रूप में भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाया गया है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का हासंपुर व भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी0 एल0 सी0 दरों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 60 में आने–जाने आवागमन हेतू भूमि खसरा नम्बर 54, 53/2 में से होकर 12 फुट का गैर मुमकिन रास्ता जो अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम होने तथा उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्त रास्ता दिलवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण को अपने भूमि खसरा नम्बर 60 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 54, 53/2 में से होकर 12 फुट का गैर मुमकिन ... रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ते से सबसे निकटतम व अत्यन्त लघुत्तम होना तथा उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रकट होता है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 53/2 में रास्ते की लम्बाई 530 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 54 में रास्ते की लम्बाई 550 वर्गमीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर भूमि होती है। डी.एल.सी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दर के अनुसार उक्त रास्ते की भूमि की 180619/— अक्षरे एक लाख अस्सी हजार छः सौ उन्नीस रूपये होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध मे एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी० एल० सी० दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिसके तहत प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 12 फुट की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी०एल०सी० दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए भू० अभिलेख निरीक्षक वृत्त— श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 12 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सडक व मुख्य आबादी से [illegible] के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। भू० अभिलेख निरीक्षक वृत्त— श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

–:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 तन ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर में आने–जाने आवागमन हेतू भूमि खसरा नम्बर 54, 53/2 में से होकर 12 फुट का गैर मुमकिन रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ते से जोड़ता है। उक्त रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों का वर्तमान बाजार दरों से मूल्यांकन [illegible] करवाया जाना की जाकर उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि राज्यकोष में [illegible] प्रार्थीगण को भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट में दर्शित 12 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। चूंकि रास्ते मे लगने वाली भूमियॉ विला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्वर 54, 53/2 में दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)